रजिस्टर्ड नं० ऐ० डी०-4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, सोमवार, 22 जुलाई, 1974
आषाढ़ 31, 1896 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग-1

संख्या 2347/17-वि-1--53-74

लखनऊ 22 जुलाई, 1974

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित इण्डियन स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1974 पर दिनांक 21 जुलाई, 1974 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1974 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

इण्डियन स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1974

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1974

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ।)

ऐक्ट संख्या 2, 1899

इण्डियन स्टाम्प ऐक्ट, 1899 का उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में अग्रेतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम इण्डियन स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1974 कहलायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह 25 मई, 1974 से प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

ऐक्ट संख्या 2, 1899 की धारा 2 का संशोधन

2—इण्डियन स्टाम्प ऐक्ट, 1899, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में खण्ड (15) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात्:—

"(15) 'विभाजन के लिखत' से कोई ऐसी लिखत अभिप्रेत है जिसके द्वारा किसी सम्पत्ति के सहस्वामी ऐसी सम्पत्ति को पृथकतः विभाजित करें अथवा विभाजित करने के लिये सहमत हों, और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी है—

(1) विभाजन करने के लिये किसी राजस्व प्राधिकारी या किसी सिविल न्यायालय द्वारा पारित कोई अंतिम आदेश,

(2) किसी मध्यस्थ का अधिनिर्णय जिसमें विभाजन के लिये निदेश दिया गया हो, और

(3) जब कोई ऐसी लिखत निष्पादित किये बिना कोई विभाजन किया जाय, तो कोई लिखत अथवा लिखतें जो सहस्वामियों द्वारा हस्तांतरित हो या हों, और जिसमें सहस्वामियों के बीच ऐसे विभाजन के निबन्धन, चाहे ऐसे विभाजन की घोषणा के रूप में या अन्यथा अभिलिखित हों;"

धारा 4 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 4 में वर्तमान उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्:—

"(1) जहां कि किसी विक्रय, बन्धक या समझौते की दशा में, संव्यवहार को पूरा करने के लिए अनेक लिखतें प्रयुक्त की जायें वहां हस्तांतरण, बंधक या समझौते के लिए केवल मुख्य लिखत पर अनुसूची 1-ख में विहित शुल्क प्रभार्य होगा और अन्य प्रत्येक लिखत पर उक्त अनुसूची में उसके लिए विहित शुल्क (यदि कोई हो) के बजाय पांच रुपये का शुल्क प्रभार्य होगा।"

नई धारा 10-क का बढ़ाया जाना

4—मूल अधिनियम की धारा 10 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

शुल्क का नकद संदाय

"10-क—(1) धारा 10 में किसी बात के होते हुए भी, यदि कलेक्टर का यह समाधान हो जाय कि जिले में स्टाम्प की अस्थायी कमी है अथवा अपेक्षित अभिधान के स्टाम्प उपलब्ध नहीं हैं तो वह शुल्क का नकद भुगतान करने की अनुज्ञा दे सकेगा और कोषागार के प्रभारी अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगा कि वह सरकारी कोषागार या उप कोषागार में शुल्क का भुगतान करने को साक्ष्यित करने वाले चालान को पेश करने पर शुल्क की वह रकम जो इस प्रकार नकद संदत्त की गई है लिखत या लिखतों पर पृष्ठांकित कर दे।

(2) किसी लिखत पर उपधारा (1) के अधीन किया गया कोई पृष्ठांकन उसी प्रकार प्रभावी होगा मानों उसके संबंध में पृष्ठांकन में वर्णित रकम के बराबर शुल्क की रकम का भुगतान कर दिया गया है और ऐसी लिखत पर ऐसे भुगतान की धारा 10 की अपेक्षानुसार स्टाम्प द्वारा उपदर्शित किया गया है।"

धारा 47-क का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 47—क में, उपधारा (4) में, शब्द "दो वर्ष" के स्थान पर शब्द "चार वर्ष" रख दिये जायें और सदैव से रखे गए समझे जायेंगे।

अनुसूची 1-बी का संशोधन

6—मूल अधिनियम की अनुसूची 1—बी में,

(1) आर्टिकिल 3 के सामने स्तम्भ 2 की वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जाय, अर्थात्:—

"पचास रुपये"

(2) आर्टिकिल 4 के खण्ड (क) के सामने स्तम्भ 2 की वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जाय, अर्थात्:—

"दो रुपये"

(3) आर्टिकिल 5 के खण्ड (सी) के सामने स्तम्भ 2 की वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जाय, अर्थात्:—

"पांच रुपये"

(4) आर्टिकिल 6 के खण्ड (2) उपखण्ड (ए) के नीचे की दर की वर्तमान सारिणी के स्थान पर निम्नलिखित सारिणी रख दी जाय, अर्थात्:—

लिखत का विवरण			उचित स्टाम्प शुल्क	
			रुपये	पैसे
जब उधार या ऋण की धनराशि 200 रुपये से अधिक न हो			1	00
जब वह	200 रुपये से अधिक किन्तु	400 रुपये से अधिक न हो	2	00
जब वह	400 रुपये से अधिक किन्तु	600 रुपये से अधिक न हो	3	00
जब वह	600 रुपये से अधिक किन्तु	800 रुपये से अधिक न हो	4	00
जब वह	800 रुपये से अधिक किन्तु	1,000 रुपये से अधिक न हो	5	00
जब वह	1,000 रुपये से अधिक किन्तु	1,200 रुपये से अधिक न हो	6	00
जब वह	1,200 रुपये से अधिक किन्तु	1,600 रुपये से अधिक न हो	8	00
जब वह	1,600 रुपये से अधिक किन्तु	2,500 रुपये से अधिक न हो	12	50
जब वह	2,500 रुपये से अधिक किन्तु	5,000 रुपये से अधिक न हो	25	00
जब वह	5,000 रुपये से अधिक किन्तु	7,500 रुपये से अधिक न हो	37	50
जब वह	7,500 रुपये से अधिक किन्तु	10,000 रुपये से अधिक न हो	50	00
जब वह	10,000 रुपये से अधिक किन्तु	15,000 रुपये से अधिक न हो	75	00
जब वह	15,000 रुपये से अधिक किन्तु	20,000 रुपये से अधिक न हो	100	00
जब वह	20,000 रुपये से अधिक किन्तु	25,000 रुपये से अधिक न हो	125	00
जब वह	25,000 रुपये से अधिक किन्तु	30,000 रुपये से अधिक न हो	150	00
और	30,000 रुपये से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त	10,000 रुपये या उसके भाग के लिए	50	00

(5) आर्टिकिल 8 के खण्ड (बी) के सामने स्तम्भ 2 की वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जाय, अर्थात्:--

"सैंतीस रुपये पचास पैसे"

(6) आर्टिकिल 10 के सामने स्तम्भ 2 की वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जाय, अर्थात्:--

"दो सौ पच्चीस रुपये"

(7) आर्टिकिल 12 के खण्ड (सी) के सामने स्तम्भ 2 की वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जाय, अर्थात्:--

"सैंतीस रुपये पचास पैसे"

(8) आर्टिकिल 15 के नीचे की दर की वर्तमान सारिणी के स्थान पर निम्नलिखित सारिणी रख दी जाय, अर्थात्:--

लिखत का वर्णन				उचित स्टाम्प शुल्क
"जहां प्रतिभूत धनराशि या मूल्य 10 रुपये से अधिक न हो				पैंतालीस पैसे
जहां वह	10 रुपये से अधिक किन्तु	50 रुपये से अधिक न हो		एक रुपया
जहां वह	50 रुपये से अधिक किन्तु	100 रुपये से अधिक न हो		तीन रुपये पचहत्तर पैसे
जहां वह	100 रुपये से अधिक किन्तु	200 रुपये से अधिक न हो		सात रुपये पचास पैसे
जहां वह	200 रुपये से अधिक किन्तु	300 रुपये से अधिक न हो		ग्यारह रुपये पचीस पैसे
जहां वह	300 रुपये से अधिक किन्तु	400 रुपये से अधिक न हो		पंद्रह रुपये
जहां वह	400 रुपये से अधिक किन्तु	500 रुपये से अधिक न हो		अट्ठारह रुपये पचहत्तर पैसे
जहां वह	500 रुपये से अधिक किन्तु	600 रुपये से अधिक न हो		बाइस रुपये पचास पैसे
जहां वह	600 रुपये से अधिक किन्तु	700 रुपये से अधिक न हो		छब्बीस रुपये पचीस पैसे
जहां वह	700 रुपये से अधिक किन्तु	800 रुपये से अधिक न हो		तीस रुपये
जहां वह	800 रुपये से अधिक किन्तु	900 रुपये से अधिक न हो		तैंतीस रुपये पचहत्तर पैसे
जहां वह	900 रुपये से अधिक किन्तु	1,000 रुपये से अधिक न हो		सैंतीस रुपये पचास पैसे
और	1,000 रुपये से अधिक प्रत्येक	500 रुपये या उसके भाग के लिए		अट्ठारह रुपये पचहत्तर पैसे"

(9) आर्टिकिल 23 के नीचे की दर की वर्तमान सारिणी के स्थान पर निम्नलिखित सारिणी रख दी जाय, अर्थात्:--

लिखत का वर्णन				उचित स्टाम्प शुल्क	
				रुपये	पैसे
"जहां ऐसे हस्तान्तरण के प्रतिफल की उसमें उल्लिखित रकम या मूल्य अथवा उस सम्पत्ति का जो ऐसे हस्तान्तरण की विषय वस्तु है, बाजार मूल्य, इनमें से जो भी अधिक हो, 50 रुपये से अधिक न हो				2	00
जहां वह	50 रुपये से अधिक किन्तु	100 रुपये से अधिक न हो		7	50
जहां वह	100 रुपये से अधिक किन्तु	200 रुपये से अधिक न हो		15	00
जहां वह	200 रुपये से अधिक किन्तु	300 रुपये से अधिक न हो		22	50
जहां वह	300 रुपये से अधिक किन्तु	400 रुपये से अधिक न हो		30	00
जहां वह	400 रुपये से अधिक किन्तु	500 रुपये से अधिक न हो		37	50
जहां वह	500 रुपये से अधिक किन्तु	600 रुपये से अधिक न हो		45	00
जहां वह	600 रुपये से अधिक किन्तु	700 रुपये से अधिक न हो		52	50
जहां वह	700 रुपये से अधिक किन्तु	800 रुपये से अधिक न हो		60	00
जहां वह	800 रुपये से अधिक किन्तु	900 रुपये से अधिक न हो		67	50
जहां वह	900 रुपये से अधिक किन्तु	1,000 रुपये से अधिक न हो		75	00
और	1,000 रुपये से अधिक प्रत्येक	500 रुपये या उसके भाग के लिए		37	50"

(10) आर्टिकिल 24 के खण्ड (2) के सामने स्तम्भ 2 की वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जाय, अर्थात्:—

"जब प्रति अथवा उद्धरण किसी कृषिक पट्टे का अथवा कृषिक भूमि के किसी बन्धक विलेख या विक्रय विलेख का हो और मूल की विषय वस्तु का मूल्य एक हजार रुपये से अधिक न हो तो तीन रुपये, अन्य किसी दशा में पांच रुपये।"

(11) आर्टिकिल 25 के स्तम्भ 1 के वर्तमान खण्ड (ए) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात्:—

"(क) यदि शुल्क जो मूल लिखत पर प्रभार्य हो, पांच रुपये से अधिक न हो।"

(12) आर्टिकिल 25 के खण्ड (बी) के सामने स्तम्भ 2 की वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जाय, अर्थात्:—

"पांच रुपये"

(13) आर्टिकिल 34-ए के स्तम्भ 1 के वर्तमान खण्ड (ए) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जाय, अर्थात:—

"(क) यदि शुल्क जो मूल लिखत पर प्रभार्य हो, दस रुपये से अधिक न हो"

(14) आर्टिकिल 34-ए के खण्ड (बी) के सामने स्तम्भ 2 की वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जाय, अर्थात्:—

"पांच रुपये"

(15) आर्टिकिल 35 के खण्ड (सी) के सामने स्तम्भ 2 की वर्तमान प्रविष्टि के नीचे परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जाय, अर्थात्:—

"परन्तु किसी भी दशा में जब, किसी पट्टे के करार पर, पट्टे के लिये अपेक्षित मूल्यानुसार स्टाम्प लगाया जाय, और बाद में ऐसे करार के अनुसरण में पट्टा निष्पादित किया जाय तो ऐसे पट्टे पर शुल्क पांच रुपये से अधिक न होगा;"

(16) आर्टिकिल 39 के खण्ड (ए) के सामने स्तम्भ 2 की वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जाय, अर्थात्:—

"एक सौ रुपये"

(17) आर्टिकिल 39 के खण्ड (बी) के सामने स्तम्भ 2 की वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जाय, अर्थात्:—

"तीन सौ पच्चीस रुपये"

(18) आर्टिकिल 45 में, स्तम्भ 2 में, परन्तुक के वर्तमान खण्ड (ए) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात्:—

"(क) जब कोई ऐसी लिखत जिसमें सम्पत्ति को पृथकतः विभाजित करने का करार हो, निष्पादित की जाय और ऐसे करार के अनुसरण में विभाजन किया जाय तो ऐसे विभाजन को प्रभावी बनाने वाली लिखत पर अथवा घोषणा के रूप में या अन्यथा ऐसे विभाजन की शर्तों को अभिलिखित करने वाली लिखत पर प्रभार्य शुल्क में से प्रथम लिखत के संबंध में संदत्त शुल्क की रकम कम कर दी जायगी किन्तु प्रभार्य शुल्क पांच रुपये से कम न होगा;"

(19) आर्टिकिल 45 के स्तम्भ 2 में, वर्तमान खण्ड (सी) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात्:—

"(ग) जहां विभाजन करने के लिए किसी राजस्व प्राधिकारी या किसी सिविल न्यायालय द्वारा पारित किसी अंतिम आदेश पर या किसी मध्यस्थ के ऐसे अधिनिर्णय पर जिसमें विभाजन के लिये निदेश दिया गया हो, विभाजन की लिखत के लिए अपेक्षित स्टाम्प लगाया गया है और तत्पश्चात् ऐसे आदेश या अधिनिर्णय के अनुसरण में विभाजन की लिखत निष्पादित की जाय तो ऐसी लिखत पर शुल्क पांच रुपये से अधिक न होगा।"

(20) आर्टिकिल 46 में मद (ए) के उप मद (बी) के सामने स्तम्भ 2 की वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जाय, अर्थात्:—

"एक सौ पचास रुपये"

(21) आर्टिकिल 46 में मद (बी) के सामने स्तम्भ 2 की वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जाय, अर्थात्:—

"सैंतीस रुपये पचास पैसे"

(22) आर्टिकिल 48 में दर की वर्तमान सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रख दी जाय, अर्थात:—

"

लिखत का वर्णन	उचित स्टाम्प शुल्क
(क) जब किसी एकल संव्यवहार के संबंध में एक या एकाधिक दस्तावेजों का रजिस्ट्रीकरण कराने के प्रयोजनार्थ अथवा ऐसे एक या एकाधिक दस्तावेजों का निष्पादन स्वीकार करने के लिए निष्पादित किया जाय;	दो रुपये पचास पैसे
(ख) जब खण्ड (क) में उल्लिखित मामले से भिन्न एकल संव्यवहार में कार्य करने के लिए एक या एकाधिक व्यक्ति को प्राधिकृत किया जाय;	पांच रुपये
(ग) जब एक से अधिक संव्यवहार में संयुक्ततः तथा पृथकतः अथवा साधारणतः कार्य करने के लिए पांच से अनधिक व्यक्तियों को प्राधिकृत किया जाय;	बीस रुपये
(घ) जब एक से अधिक संव्यवहार में संयुक्ततः तथा पृथकतः अथवा साधारणतः कार्य करने के लिए पांच से अधिक किन्तु दस से अनधिक व्यक्तियों को प्राधिकृत किया जाय;	चालीस रुपये
(ङ) जब प्रतिफल के लिए दिया जाय और किसी स्थावर सम्पत्ति को बेंचने के लिए अटार्नी को प्राधिकृत किया जाय;	उतना ही शुल्क जो ऐसे प्रतिफल की रकम के लिए किसी हस्तान्तरण (संख्या 23) पर हो ।
(च) किसी अन्य मामले में	प्रत्येक प्राधिकृत व्यक्ति के लिए पांच रुपये ।

"

(23) आर्टिकिल 54 के खण्ड (बी) के सामने स्तम्भ 2 की वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जाय, अर्थात्:—

"पचहत्तर रुपये"

(24) आर्टिकिल 55 के स्तम्भ 1 के वर्तमान खण्ड (ए) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात्:—

"(क) यदि दावे की रकम या उसका मूल्य 2,500 रुपये से अधिक न हो "

(25) आर्टिकिल 55 के खण्ड (बी) के सामने स्तम्भ 2 की वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जाय, अर्थात्:—

"एक सौ रुपये"

(26) आर्टिकिल 57 के खण्ड (बी) के सामने स्तम्भ 2 की वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जाय, अर्थात्:—

"सैंतीस रुपये पचहत्तर पैसे"

(27) आर्टिकिल 58 के सामने स्तम्भ 2 के वर्तमान परन्तुक क स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जाय, अर्थात्:—

"परन्तु, जहां किसी समझौते के करार पर समझौते की लिखत को अपेक्षानुसार स्टाम्प लगाया जाय और तत्पश्चात् ऐसे करार के अनुसरण में समझौते की लिखत निष्पादित की जाय तो ऐसी लिखत पर शुल्क पांच रुपये से अधिक न होगा ।"

(28) आर्टिकिल 61 के स्तम्भ 1 में वर्तमान खण्ड (ए) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात्:—

"(क) जब ऐसा शुल्क जो पट्टा पर प्रभार्य है, सैंतिस रुपये पचहत्तर पैसे से अधिक न हो ।"

(29) आर्टिकिल 61 के खण्ड (बी) के सामने स्तम्भ 2 की वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जाय, अर्थात्:—

"सैंतीस रुपये पचहत्तर पैसे"

(30) आर्टिकिल 62 के स्तम्भ 1 में खण्ड (सी) की वर्तमान मद (1) के स्थान पर निम्नलिखित मद रख दी जाय, अर्थात्:—

"यदि ऐसे बन्ध-पत्र, बन्धक विलेख या पालिसी पर शुल्क सैंतीस रुपये पचहत्तर पैसे से अधिक न हो।"

(31) आर्टिकिल 62 के खण्ड (सी) की वर्तमान मद (2) के सामने स्तम्भ 2 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जाय, अर्थात्:—

"सैंतीस रुपये पचहत्तर पैसे,

परन्तु उस दशा में जब कई बन्ध-पत्रों, बन्धक विलेखों अथवा बीमे की पालिसियों द्वारा प्रतिभूत किया गया हित किसी एक ही लिखत द्वारा अन्तरित किया जाय तो ऐसी लिखत के संबंध में संदेय शुल्क उन शुल्कों का योग होगा जो संदेय होते यदि हर ऐसे बन्ध-पत्र, बन्धक विलेख या बीमे की पालिसी के सम्बन्ध में पृथक् अन्तरण विलेख निष्पादित किये जाते।"

(32) आर्टिकिल 64 में मद "बी" के सामने स्तम्भ 2 की वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जाय, अर्थात्:—

"वही शुल्क जो सम्बद्ध सम्पत्ति की रकम या उसके मूल्य के बराबर रकम के लिए बन्ध-पत्र (संख्या 15) पर हो परन्तु वह पचहत्तर रुपये से अधिक न होगा।"

निरसन

7—इण्डियन स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1974 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है। उत्तर अध्या संख्या 19

No. 2347(2)/XVII-V-1—53-1974

Dated Lucknow, July 22, 1974

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Indian Stamp (Uttar Pradesh Sanshodhan) Adhiniyam, 1974 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 20 of 1974) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on July 21, 1974:

THE INDIAN STAMP (UTTAR PRADESH AMENDMENT) ACT, 1974

[U. P. Act No. 20 of 1974]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Indian Stamp Act, 1899, *in its application to Uttar Pradesh* Act 189

It is hereby enacted in the Twenty-fifth Year of the Republic of India as follows:—

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Indian Stamp (Uttar Pradesh Amendment) Act, 1974.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall be deemed to have come into force on May 25, 1974.

Amendment of section 2 of Act II of 1899.

2. In section 2 of the Indian Stamp Act, 1899, hereinafter referred to as the principal Act, *for* clause (15), the following clause shall be *substituted*, namely:—

"(15) 'instrument of partition' means any instrument whereby co-owners of any property divide or agree to divide such property in severalty, and also includes—

(i) a final order for effecting a partition passed by any revenue authority or any civil court;

(ii) an award by an arbitrator directing a partition ; and

(iii) when any partition is effected without executing any such instrument, any instrument or instruments signed by the co-owners and recording, whether by way of declaration of such partition or otherwise, the terms of such partition amongst the co-owners ;"

Amendment of section 4.

3. In section 4 of the principal Act, *for* the existing sub-section (1), the following sub-section shall be *substituted*, namely:—

"(1) Where, in the case of any sale, mortgage or settlement, several instruments are employed for completing the transaction, the principal instrument only shall be chargeable with the duty prescribed in Schedule I-B for the conveyance, mortgage or settlement, and each of the other instruments shall be chargeable with a duty of five rupees instead of the duty (if any) prescribed for it in that Schedule."

Insertion of a new section 10-A.

4. *After* section 10 of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely:—

"10-A (1) Notwithstanding anything contained in section 10, where the Collector is satisfied that there is temporary shortage of stamps in the district or that stamps of required denominations are not available, he may permit duty to be paid in cash and authorise the officer-in-charge of the treasury on production of a challan evidencing payment of duty in the Government treasury or sub-treasury, to certify by endorsement on the instrument or instruments the amount of duty so paid in cash.

Payment of duty in cash.

(2) An endorsement made on any instrument under sub-section (1) shall have the same effect as if the duty of an amount equal to the amount stated in the endorsement has been paid in respect thereof and such payment has been indicated on such instrument by means of stamps in accordance with the requirement of section 10."

Amendment of section 47-A.

5. In section 47-A, in sub-section (4), *for* the words "two years", the words "four years" shall be *substituted* and be deemed always to have been *substituted*.

Amendment of Schedule I-B.

6. In Schedule I-B of the principal Act—

(1) *for* the existing entry in Column 2 against Article 3, the following entry shall be *substituted*, namely:—

"Fifty rupees",

(2) *for* the existing entry in Column 2 against clause (*a*) of Article 4, the following entry shall be *substituted*, namely:—

"Two rupees",

(3) *for* the existing entry in Column 2 against clause (*c*) of Article 5, the following entry shall be *substituted*, namely:—

"Five rupees",

(4) *for* the existing table of rates below sub-clause (*a*) of clause (2) of Article 6, the following table shall be *substituted*, namely:—

"

Description of instrument	Proper stamp duty
	Rs. P.
When the amount of the loan or debt does not exceed Rs. 200 ..	1 00
When it exceeds Rs. 200 but does not exceed Rs. 400 ..	2 00
When it exceeds Rs. 400 but does not exceed Rs. 600 ..	3 00
When it exceeds Rs. 600 but does not exceed Rs. 800 ..	4 00
When it exceeds Rs. 800 but does not exceed Rs. 1,000. ..	5 00
When it exceeds Rs. 1,000 but does not exceed Rs. 1,200 ..	6 00
When it exceeds Rs. 1,200 but does not exceed Rs. 1,600 ..	8 00
When it exceeds Rs. 1,600 but does not exceed Rs. 2,500 ..	12 50
When it exceeds Rs. 2,500 but does not exceed Rs. 5,000 ..	25 00
When it exceeds Rs. 5,000 but does not exceed Rs. 7,500 ..	37 50
When it exceeds Rs. 7,500 but does not exceed Rs. 10,000 ..	50 00
When it exceeds Rs. 10,000 but does not exceed Rs. 15,000 ..	75 00
When it exceeds Rs. 15,000 but does not exceed Rs. 20,000 ..	100 00
When it exceeds Rs. 20,000 but does not exceed Rs. 25,000 ..	125 00
When it exceeds Rs. 25,000 but does not exceed Rs. 30,000 ..	150 00
and for every additional Rs. 10,000 or part thereof in excess of Rs. 30,000	50 00

"

(5) *for* the existing entry in Column 2 against clause (*b*) of Article 8, the following entry shall be *substituted*, namely:—

"Thirty-seven rupees and fifty paise",

(6) *for* the existing entry in Column 2 against Article 10, the following entry shall be *substituted*, namely:—

"Two hundred and twenty-five rupees",

(7) *for* the existing entry in Column 2 against clause (*c*) of Article 12, the following entry shall be *substituted*, namely:—

"Thirty-seven rupees and fifty paise",

(8) *for* the existing table of rates below Article 15, the following table shall be *substituted*, namely:—

"

Description of instrument	Proper stamp duty
Where the amount or value secured does not exceed Rs. 10	Forty-five paise.
Where it exceeds Rs. 10 but does not exceed Rs. 50	One rupee.
Where it exceeds Rs. 50 but does not exceed Rs. 100	Three rupees and seventy-five paise.
Where it exceeds Rs. 100 but does not exceed Rs. 200	Seven rupees and fifty paise.
Where it exceeds Rs. 200 but does not exceed Rs. 300	Eleven rupees and twenty-five paise.
Where it exceeds Rs. 300 but does not exceed Rs. 400	Fifteen rupees.
Where it exceeds Rs. 400 but does not exceed Rs. 500	Eighteen rupees and seventy-five paise.
Where it exceeds Rs. 500 but does not exceed Rs. 600	Twenty-two rupees and fifty paise.
Where it exceeds Rs. 600 but does not exceed Rs. 700	Twenty-six rupees and twenty-five paise.
Where it exceeds Rs. 700 but does not exceed Rs. 800	Thirty rupees.
Where it exceeds Rs. 800 but does not exceed Rs. 900	Thirty-three rupee and seventy-five paise.
Where it exceeds Rs. 900 but does not exceed Rs. 1,000	Thirty-seven rupees and fifty paise.
and for every Rs. 500 or part thereof in excess of Rs. 1,000	Eighteen rupees and seventy-five paise.

",

(9) *for* the existing table of rates below Article 23, the following table shall be *substituted*, namely:—

"

Description of instrument	Proper stamp duty Rs. P.
Where the amount or value of the consideration of such conveyance as set forth therein or the market value of the property which is the subject of such conveyance, whichever is greater, does not exceed Rs. 50 ..	2 00
Where it exceeds Rs. 50 but does not exceed Rs. 100 ..	7 50
Where it exceeds Rs. 100 but does not exceed Rs. 200 ..	15 00
Where it exceeds Rs. 200 but does not exceed Rs. 300 ..	22 50
Where it exceeds Rs. 300 but does not exceed Rs. 400 ..	30 00
Where it exceeds Rs. 400 but does not exceed Rs. 500 ..	37 50
Where it exceeds Rs. 500 but does not exceed Rs. 600 ..	45 00
Where it exceeds Rs. 600 but does not exceed Rs. 700 ..	52 50
Where it exceeds Rs. 700 but does not exceed Rs. 800 ..	60 00
Where it exceeds Rs. 800 but does not exceed Rs. 900 ..	67 50
Where it exceeds Rs. 900 but does not exceed Rs. 1,000 ..	75 00
and for every Rs. 500 or part thereof in excess of Rs. 1,000 ..	37 50

"

(10) *for* the existing entry in Column 2 against clause (ii) of Article 24 the following entry shall be *substituted*, namely:—

"Three rupees, when the copy or extract is of an agricultural lease or of a mortgage-deed or sale-deed of agricultural land and the value of the subject-matter of the original does not exceed one thousand rupees; in any other case, five rupees."

(11) *for* the existing clause (*a*) in Column 1 of Article 25, the following clause shall be *substituted*, namely:—

"(*a*) if the duty with which the original instrument is chargeable does not exceed five rupees;",

(12) *for* the existing entry in Column 2 against clause (*b*) of Article 25, the following entry shall be *substituted*, namely:—

"Five rupees",

(13) *for* the existing clause (*a*) in Column 1 of Article 34-A, the following clause shall be *substituted*, namely:—

"(*a*) if the duty with which the original instrument is chargeable does not exceed ten rupees;"

(14) *for* the existing entry in column 2 against clause (*b*) of Article 34-A, the following shall be *substituted*, namely:—

"Five rupees",

(15) *for* the proviso below the existing entry in Column 2 against clause (*c*) of Article 35, the following proviso shall be *substituted*, namely:

"Provided that in any case when an agreement to lease is stamped with the *ad valorem* stamp required for lease, and a lease in pursuance of such agreement is subsequently executed the duty on such lease shall not exceed five rupees."

(16) *for* the existing entry in Column 2 against clause (*a*) of Article 39, the following entry shall be *substituted*, namely:—

"One hundred rupees ".

(17) *for* the existing entry in Column 2 against clause (*b*) of Article 39, the following entry shall be *substituted*, namely :—

"Three hundred and twenty-five rupees".

(18) in Article 45, in Column 2, *for* the existing clause (*a*) of the proviso, the following clause shall be *substituted*, namely:—

"(*a*) when an instrument containing an agreement to divide property in severalty is executed and a partition is effected in pursuance of such agreement, the duty chargeable upon the instrument effecting such partition or upon the instrument recording, by way of declaration or otherwise, the terms of such partition shall be reduced by the amount of duty paid in respect of the first instrument but shall not be less than five rupees;"

(19) *for* the existing clause (*c*) in Column 2 of Article 45, the following clause shall be *substituted*, namely:—

"(*c*) where a final order for effecting a partition passed by any Revenue authority or any Civil Court, or an award by an Arbitrator directing a partition, is stamped with the stamp required for any instrument of partition, and an instrument of partition, in pursuance of such order or award is subsequently executed, the duty on such instrument shall not exceed five rupees.",

(20) *for* the existing entry in Column 2 against item "A", sub-item (*b*) of Article 46, the following entry shall be *substituted*, namely:—

"One hundred and fifty rupees.",

(21) *for* the existing entry in Column 2 against Item "B" of Article 46, the following entry shall be *substituted*, namely:—

"Thirty-seven rupees and fifty paise.",

(22) *for* the existing table of rates under Article 48, the following table shall be *substituted*, namely:—

"

Description of instrument	Proper stamp duty
(*a*) when executed for the sole purpose of procuring the registration of one or more documents in relation to a single transaction or for admitting execution of one or more such documents;	Two rupees and fifty paise.
(*b*) when authorising one person or more to act in a single transaction other than the case mentioned in clause (*a*);	Five rupees.
(*c*) when authorising not more than five persons to act jointly and severally in more than one transaction or generally;	Twenty rupees.
(*d*) when authorising more than five but not more than ten persons to act jointly and severally in more than one transaction or generally;	Forty rupees.
(*e*) when given for consideration and authorising the attorney to sell any immovable property;	The same duty as a conveyance (no. 23) of the consideration.
(*f*) in any other case	Five rupees for each person authorised.

"

(23) *for* the existing entry in Column 2 against clause (*b*) of Article 54, the following entry shall be *substituted*, namely :—

"Seventy-five rupees.",

(24) *for* the existing clause (*a*) below Article 55, the following clause shall be *substituted*, namely :—

"(*a*) if the amount or value of the claim does not exceed Rs. 2,500;"

(25) *for* the existing entry in Column 2 against clause (*b*) of Article 55, the following entry shall be *substituted*, namely:—

"One hundred rupees.",

(26) *for* the existing entry in Column 2 against clause (*b*) of Article 57, the following entry shall be *substituted*, namely :—

"Thirty-seven rupees and seventy-five paise.",

(27) *for* the existing proviso in Column 2 against Article 58, the following proviso shall be *substituted*, namely :—

"Provided that, where an agreement to settle is stamped with the stamp required for an instrument of settlement and an instrument of settlement in pursuance of such agreement is subsequently executed, the duty on such instrument shall not exceed five rupees.",

(28) *for* the existing clause (*a*) in Column 1 of Article 61, the following clause shall be *substituted*, namely:—

"(*a*) when the duty with which the lease is chargeable does not exceed thirty-seven rupees and seventy-five paise."

(29) *for* the existing entry in Column 2 against clause (*b*) of Article 61, the following entry shall be *substituted*, namely :—

"Thirty-seven rupees and seventy-five paise.",

(30) *for* the existing item (i) of clause (*c*) in Column (1) of Article 62, the following item shall be *substituted*, namely :—

"(i) if the duty on such bond, mortgage-deed or policy does not exceed thirty-seven rupees and seventy-five paise."

(31) *for* the existing entry in Column 2 against item (ii) below clause (*c*) of Article 62, the following entry shall be *substituted*, namely :—

"Thirty-seven rupees and seventy-five paise :

Provided that, if by any one instrument the interest secured by several bonds, mortgage-deeds or policies of insurance is transferred the duty payable in respect of such instrument shall be the aggregate of the duties which would have been payable if separate instruments of transfer were executed in respect of each such bond, mortgage-deed or policy of insurance."

(32) *for* the existing entry in Column 2 against Item "B" of Article 64, the following entry shall be *substituted*, namely:—

"The same duty as a Bond (no. 15) for a sum equal to the amount or value of the property concerned but not exceeding seventy-five rupees.".

U.P. Ordinance no. 2 of 1974.

7. The Indian Stamp (Uttar Pradesh Amendment) Ordinance, 1974 is hereby repealed. Repeal.

आज्ञा से,
कैलाश नाथ गोयल,
सचिव ।

पी० एस० यू० पी०—यू० पी० 167 राजपत्र (हि०)—1020—1974—2,118+200 (मे०)